



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14744

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या - 625 सन् 2026

दीपक कुमार श्रीवास्तव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: विवेक सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. प्रारंभ में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक सिंह ने वर्तमान याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें पदोन्नति आदेश को चुनौती दी गई है और संबंधित पक्षों को वर्तमान याचिका में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया है, क्योंकि उनके अनुसार, वर्तमान याचिका विधिवत गठित नहीं की गई है।

2. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।